'हर जिले में ड्रग से जुड़े 10 प्रमुख केस और 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं की होगी सूची तैयार, सम्पत्ति होगी जब्त'

मुख्य सचिव ने प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में नार्को समन्वय केंद्र तंत्र (एनसीओआरडी) की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को सख्त एवं समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी पुलिस थानों में मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ड्रग्स की जब्ती और तस्करों के विरुद्ध अभियान को और अधिक तेज किया जाए। साथ ही, जब्त ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों को प्रदेश के सभी पुलिस थानों मे एक दिन एक साथ विशेष अभियान चला कर नष्ट किया जाए।

उन्होंने कहा कि आदतन अपराधियों के विरुद्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित मजबूत चार्जशीट तैयार की जाए, जिससे न्यायालय में प्रभावी पैरवी हो सके और दोषियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाई जा सके।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को केन्द्र सरकार की 'डिटेक्ट-डिसरप्ट-डेस्ट्रॉय' नीति के आधार पर ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क को समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए योजनाबद्ध एवं समन्वित कार्रवाई की जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक ड्रग्स से जुड़े 10 प्रमुख मामलों की सूची तैयार करें तथा उनमें से 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में वर्ष 2026-29 के लिए मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जांच के दौरान जब्त किए गए वाहनों की नियमानुसार शीघ्र नीलामी की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन आरोपियों के विरुद्ध तीन या उससे अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं, उनके प्रकरणों का प्राथमिकता से शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि संगठित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इस दौरान एएनटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विकास कुमार ने बैठक का प्रस्तुतीकरण दिया।बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सांवन्त, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, एएनटीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम. एन., रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इंटेलिजेंस ब्यूरो, चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, कृषि, राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में नार्को समन्वय केंद्र तंत्र की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई।

- राज्य स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कार्ययोजना बनाई। सभी पुलिस थानों में एक साथ विशेष अभियान चलाकर जब्त ड्रग्स को नष्ट करें : वी. श्रीनिवास

सचिव ने संबंधित विभागों को इस संबंध में ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा युवा मामलात विभाग को निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समन्वित रूप से नशा मुक्ति, जागरूकता एवं ड्रग तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जांच के दौरान

मंदिर और सूने मकानों में चोरी करने वाले दो बदमाश दबोचे

जयपुर । खोराबीसल पुलिस ने मंदिर और सूने मकानों में चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शनि मंदिर से चोरी किए गए चांदी के तीन छत्र तथा एक मकान से चोरी की गई पानी की मोटर बरामद की है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि 25 जुलाई को नांगल जैसा बोहरा स्थित शनि मंदिर (देव तलाई) से चांदी के छत्र चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच के दौरान घटनास्थल और बैनाड़ रोड के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनके आधार पर राकेश प्रजापत (21) निवासी झामदा कला (चाकसू), हाल निवासी करधनी की पहचान हुई। आरोपी पहले से करधनी थाना क्षेत्र के चोरी के मामले में जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था। पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी किए गए तीनों चांदी के छत्र बरामद कर लिए गए। आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी और नकबजनी के मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरे मामले में 20 जुलाई को ग्रीन पार्क, नांगल जैसा बोहरा निवासी राकेश कुमार ने मकान से औजार, लाइट का सामान और करीब 10 हजार रुपये की पानी की मोटर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर सुनील लौरा (26) निवासी नारायण नगर, दादी का फाटक (झोटवाड़ा) को भैरूजी मंदिर के पास से गिरफ्तार किया।

16 अगस्त तक बढ़ी खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि

जयपुर । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी है। इससे अब हजारों ऐसे किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो किसी कारणवश 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाए थे। योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी एवं बटाईदार किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आय को सुरक्षित बनाने, खेती में जोखिम कम करने तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत किसानों को सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव सहित अन्य अधिसूचित प्राकृतिक जोखिमों से फसल क्षित होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 721/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री आशुतोष गोयल गोयल निवास, 303 नेमीसागर कालोनी, क्वीन्स रोड वैशाली नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास राधेश्याम तुलसा देवी गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट, 24 गोयल हाउस, अजमेर रोड, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 06.10.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सिर पर धारण किया पवित्र कलश

जयपुर । संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संचालित संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को जयपुर में समरसता कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजापार्क स्थित श्रीराम मंदिर पहुंचकर वाराणसी से लाए गए पवित्र कलश को अपने सिर पर धारण किया तथा यात्रा में सहभागिता कर संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संत रविदास का जीवन सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का प्रेरणास्त्रोत है। उनकी 650वीं जयंती के अवसर पर चलाया जा रहा यह अभियान संत रविदास के संदेश को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने समाज से जाति-पांति और ऊंच-नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर समरस एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आव्हान किया।

इस अवसर पर संगठन महामंत्री अजेय कुमार, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई सहित अनेक जनप्रतिनिधि, संत समाज और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

प्राकृतिक खेती में राजस्थान बना मिसाल : क्लस्टर गठन में दूसरा, कृषक पंजीकरण में तीसरा स्थान

राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का दिख रहा प्रभावी असर

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार ढाई लाख किसानों को जोड़कर एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत राज्य में अब तक 2 हजार 380 क्लस्टर गठित किए जा चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश के बाद देशभर में सर्वाधिक है। इन क्लस्टरों से प्रदेश के 2 लाख 12 हजार 346 किसान जुड़े हैं, यह संख्या आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे अधिक है। साथ ही, अब तक राज्य के लगभग 91 हजार 166 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाई जा चुकी है, जो राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करती है। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक लगभग 49 करोड़ 97 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को नई दिशा देने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। प्रदेश में 50 हजार किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के माध्यम से जैविक खाद उत्पादन के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को जैविक उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 हजार 856 करोड़ रुपये का अनुदान राज्य की गोशालाओं को दिया गया है। बजट 2025-26 में कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नैचुरल फार्मिंग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 25 नवंबर 2024 को प्रारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा किसानों की आय बढ़ाना है। यह मिशन केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रमाणन और विपणन की समग्र सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इसके तहत देशभर में 527 कृषि विज्ञान केंद्र, 76 कृषि विश्वविद्यालय, 194 स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थान तथा 18 उत्कृष्टता केंद्र मिशन अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4 हजार रुपये की प्रोत्साहन सहायता राशि दो वर्षों तक उपलब्ध करवाई जा रही है। नीति आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले लगभग 91 प्रतिशत किसानों के उत्पादन में वृद्धि हुई तथा लगभग 90 प्रतिशत किसानों की उत्पादन लागत में कमी आई है। साथ ही, मिट्टी के स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि और भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ कृषि व्यवस्था का आधार बन रही है। यह समृद्ध किसान, स्वस्थ समाज और सुरक्षित पर्यावरण की आधारशिला है। जब किसान प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर खेती करेगा, तभी विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को नई गति मिलेगी।प्राकृतिक कृषि ऐसी कृषि पद्धित है जिसमें प्रकृति के अनुरूप खेती की जाती है तथा मिट्टी, जल, जैव विविधता और सूक्ष्मजीवों के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाता है।

- 2 लाख से अधिक किसान 91 हजार हैक्टेयर में कर रहे है प्राकृतिक खेती। मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी होने से किसानों का उत्पादन बढ़ा, लागत भी घटी
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से मिल रहा उत्तम प्रशिक्षण-उन्नत विपणन

खोया पाया
मेरे मकान नम्बर- 231/14, LIG, सैक्टर-23, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं खो गया मिलने पर सूचित करें सन्तोष कँवर- 9351591081

नाम परिवर्तन
मैनें मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह नरूका से बदलकर किशन सिंह नरूका (KISHAN SINGH NARUKA) रख लिया है भविष्य में किशन सिंह नरूका (KISHAN SINGH NARUKA) नाम से जाना जावें। निवासी- केशरी, पाखर, दौसा, राजस्थान

मैनें अपना नाम OURUSA AAFREEN से बदलकर URUSA AAFREEN धर्मपत्नी हस्सान अशरफ निवासी 301, रोशन रेजिडेन्सी K-7, फतेह टीबा, मोती डूँगरी रोड, आर्दश नगर, जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे URUSA AAFREEN के नाम से जाना पहचाना जावें

मै अजय सिंह निवासी बराखुर भरतपुर, शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि मेरे पुत्र- शिवा (Shiva) की स्कूल Jaipur Cambridge Academy Sr.Sec. School A-66 Shiv Shakti Nagar Jaipur की मार्कशीट में मेरा नाम सोनू (उपनाम) दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है, अतः मेरा सही नाम अजय सिंह दर्ज करें।

I army no 15774279X Ex NK Rohitashwa saini resident of village post nayan dhane bedwali shahpura district jaipur that I want to change name of my dependent from DEV SHREE SAINI to DEVSHREE SAINI vide affidavit dated 23/7/26 before Sub divisional magistrate shahpura jaipur

राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग
कार्यालय, प्राचार्य रा. उ. मा. विद्यालय
सरना डूंगर झोटवाडा, जयपुर (राज.)
क्रमांक: पीईईओ/राउमावि सरना डूंगर/झोट/ जय/संख्या/2026-27/405 दि. 30.07.2026
विज्ञप्ति
स्थानीय विद्यालय में अनुपयोगी/अप्रचलित/नकारा सामान / स्टोर सामग्री की नीलामी स्थानीय विद्यालय परिसर में दिनांक 07.08.2026 को निम्न समय अनुसार की जावेगी । इच्छुक क्रेता निर्धारित दिनांक एवं समय पर आवश्यक अमानता राशि एवं जीएसटी प्रमाण पत्र जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते है। नीलामी सम्बन्धी समस्त शर्ते एवं जानकारी विद्यालय में कार्य दिवस पर उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

क्र. स.	नीलामी स्थल	नीलामी दिनांक एवं समय	नीलामी योग्य सामग्री का पुस्तक मूल्य
1.	राउमावि सरना डूंगर झोटवाडा, जयपुर	07.08.2026 प्रातः 11.30 बजे	1,96,345/-

नीलामी सम्बन्धी अन्तिम निर्णय कमेटी का होगा। प्राचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरना डूंगर, झोटवाड़ा, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज Ph. No. 0141-2329953
(बड़ी चौपड़ पुराना पुलिस मुख्यालय जलेबी चौक जयपुर) Email ID: dchmw.jmc@gmail.com
क्रमांक:- F51(I)Dept/comm./H.M.A.Z/2026/647 दिनांक :- 24/07/26
अनापत्ति आमंत्रण सूचना श्री मोहम्मद ताहिर पुत्र श्री मोहम्मद रफीक निवासी भूखण्ड संख्या सी-117, राणा कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर द्वारा शहरी सेवा शिविर 2026 में आवेदन कर भूखण्ड संख्या सी-117, राणा कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। भूखण्ड संख्या सी-117, राणा कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर का पट्टा नगर निगम द्वारा श्रीमती प्रभाती बाई पत्नि श्री विजय सिंह को जारी किया गया था। श्रीमती प्रभाती बाई द्वारा जरिये पंजीकृत वसियत नामा के उक्त भूखण्ड की वसियत श्री प्रेम सिंह चौहान पुत्र श्री ब्रदी सिंह को की गई। श्रीमती प्रभाती बाई की मृत्यु पश्चात श्री प्रेम सिंह चौहान द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के उक्त भूखण्ड का विक्रय श्री मोहम्मद ताहिर पुत्र श्री मोहम्मद रफीक को किया गया। श्री मोहम्मद ताहिर पुत्र श्री मोहम्मद रफीक द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण चाहा है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम हस्तान्तरण जारी होने के संबंध में आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 07 दिवस में आपत्ति पेश करे अन्यथा 07 दिवस पश्चात उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी। उपायुक्त हवामहल आमेर जोन नगर निगम जयपुर

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 181/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री सीतराम स्वामी पुत्र श्री छोटूराम स्वामी निवासी वार्ड नं0 5 बांगड़ा की ढाणी, नारे हरदास का वास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास संस्थान नीमकाथाना के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.09.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 65/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि डॉ. अनिल गुप्ता प्रन्यासी ने पंजीकृत प्रन्यास डी के गुप्ता मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट प्लॉट नम्बर 14, दीप हॉस्पिटल कैम्पस खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 36/जयपुर/2006 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास की बैठक में दिनांक 26.04.2026 में ट्रस्ट में नये उद्देश्य जोडने, ट्रस्ट के कार्यो में विस्तार करने के उदेश्य से संशोधित विधान की प्रति प्रन्यास रिकार्ड मे दर्ज अभिलेख करने हेतु प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 01.09.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 669/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि भारती शर्मा, निवासी प्लॉट नम्बर बी 76 रॉयल सिटी कालवाड, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास एस के डी फाउण्डेशन, रॉयल सिटी, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 09.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.09.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक : 2484 दिनांक :- 24/07/2026
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना मे आवास / फ्लैट संख्या 84/352 (MIG-B) का आवंटन श्री रामचन्द्र मीणा पुत्र श्री छिक्कन लाल मीणा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1400 दिनांक 13-09-1995 को जारी किया गया था। इनके पक्ष मे पंजीयन पत्रो निष्पादन दिनांक 16.02.2001 को कर दिया गया। श्री रामचन्द्र मीणा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 03.02.2005 को श्री राजेश राजपूत पुत्र श्री हवलदार सिंह राजपूत को विक्रय कर उनके पक्ष मे विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री राजेश राजपूत द्वारा उक्त आवास को दिनांक 12.12.2006 को श्री विक्रम लालवानी पुत्र श्री महादेव मल को विक्रय कर उनके पक्ष मे विक्रय पत्र उप पंजीयक (द्वितीय) जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री विक्रम लालवानी द्वारा श्री भागचन्द चेलानी पुत्र श्री जुड्डामल चेलानी को दिनांक 22.03.2007 को मुख्यारनामा आम वारंट नियुक्त किया गया। श्री भागचन्द चेलानी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 11.03.2010 को श्री चन्द्र प्रकाश लड्ढा पुत्र श्री मुरलीधर लड्ढा को विक्रय कर उनके पक्ष मे विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। क्रेता श्री चन्द्र प्रकाश लड्ढा पुत्र श्री मुरलीधर लड्ढा द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री चन्द्र प्रकाश लड्ढा पुत्र श्री मुरलीधर लड्ढा का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 01/2026
न्यायालय एडमिनिस्ट्रेट जनरल राजस्थान
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम सुरज कंवर पत्नी स्व. कैलाश सिंह सोढा राजपुत
विवाद स्थान .....
मृतक कैलाश सिंह सोढा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- .....
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम कैलाश सिंह सोढा पुत्र स्व. चर्तुभुज सिंह सोढा जाति..... निवासी एच-24 देव विहार, रामनगर सोडाला जयपुर राज. का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 9 माह 9 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 21 माह 7 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-रीडर
न्यायालय एडमिनिस्ट्रेट जनरल राजस्थान

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 717/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री रामलाल बैरवा निवासी 79 मोहनपुरा, पृथ्वीसिंह, तहसील माधोराजपुरा, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास सर्व समाज कल्याण चेरिटेबल ट्रस्ट, मोहनपुरा, पृथ्वीसिंह, तहसील माधोराजपुरा, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्य